

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दाँतारामगढ़ जिला-सीकर

क्रमांक/कैम्प/2021/150

दिनांक 18/10/2021

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार लोवल के आधार पर ग्राम देवा प.ह. देवा की
कमी ख.न. 1080 वा 1085 दिना प रकबा 1.22 है. के खातेदार
काना कुब बरोड़ के स्थान पर कानाराम पुत्र बहेराम फर्ज करने
के आदेश दिये जाते हैं। इसी में न्यायालय का स्थान न हो
गे राजस्व रिकार्ड में अमल इराज करे। शेष जमाबन्दी
बंदस्तु रहे।

तहसीलदार दाँतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से
न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन गोपी के सग अभियान -2021

राजेश कुमार मीणा
उपखण्ड अधिकारी
दाँतारामगढ़ जिला सीकर